न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 81 / 2017

RCMS No. 2017/00342

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 अर्जुनसिंह पुत्र मूलाराम जाति खारवाल निवासी भादरलाउ तहसील रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ पंचायत समिति रानी 2. पकाराम पुत्र तोगाजी जाति वादी निवासी सोमेसर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 35 / 1986–1987, संकल्प संख्या ..... दिनांक 15.05.1988 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 15.05.1988 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का एक पट्टासुदा एवं खरीदसुदा आवासीय रहवासी मकान इन्द्रा कॉलोनी भादरलाउ में आया हुआ स्थित है, जिसके प्लॉट संख्या 38 है। उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नारायणलाल पुत्र टीकमजी जाति सरगरा निवासी सोमेसर के नाम से जारी किया गया तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नारायणलाल से क्रय किया गया है। जब से लेकर आज दिनांक तक जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। दिनांक 16.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम सोमेसर में मिला तथा प्रार्थी को धमकी दी कि जिस भूखण्ड पर तुम रह रहे हो, उसका पट्टा मैने ग्राम पंचायत से बना लिया है एवं मैं तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर दूंगा। इस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रतियां प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 256 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया तथा न ही

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

नियम 257 के तहत नक्शा शुल्क, निरीक्षण शुल्क आदि प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत ने आवेदन पत्र दर्ज नहीं किया तथा न ही तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। ग्राम पंचायत द्वारा न तो अस्थाई निर्णय लिया एवं न ही आपत्ति इश्तिहार जारी किया। सम्पूर्ण प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 35/1986–1987, संकल्प संख्या ..... दिनांक 15.05.1988 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 15.05.1988 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 08.10.1986 को पंचो द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि नागरिकों को रियायत दर पर भूखण्ड आवंटन किए जाए, इस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जावे। दिनांक 23.11.1987 को को प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रति प्लोट 101/– रूपये प्राप्त कर आवंटन करने का प्रसताव सर्व सम्मति से पारित करना अंकित किया। मिसल के संलग्न जो आवेदन पत्र नत्थी है, उसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थिति आबादी भूमि के निस्तारण हेतु जो नियम एवं प्रक्रिया कानून में विहित है, उसके अनुसार पारदर्शिता पूर्वक समस्त कार्यवाही सम्पारित करने के पश्चात ही पट्टा जारी करने हेतु आज्ञा पारित किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा इन समस्त नियमों की पूर्णतः अवहेलना की गई

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा कायम रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 35/1986–1987, संकल्प संख्या ..... दिनांक 15.05.1988 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 15.05.1988 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली